न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 167 / 2018

1. नाजम सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह
2. सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह
3. लवदीप कौर पत्नी श्री सुखदीप सिंह
4. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह
5. रणदीप सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह
6. गुरभगत सिंह पुत्र श्री बोहड सिंह
7. बलकरण सिंह पुत्र लछमण सिंह
8. टहल सिंह पुत्र नाजमसिंह
9. सुखचरण सिंह पुत्र नाजमसिंह
10. बलजीतसिंह पुत्र शेर सिंह

जाति जट सिख , निवासीगण चक 3 एफ छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व)श्रीगंगानगर
2. अंग्रेज सिंह पुत्र श्री केहर सिंह
3. रविन्द्र कौर पत्नी श्री अंग्रेज सिंह
4. सर्वजीत कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह
5. समनदीप सिंह पुत्र री गुरप्रीत सिंह, आयु 15 वर्ष
6. केशमीन कौर पुत्री श्री गुरप्रीत सिंह, आयु 6 वर्ष द्वारा माता सर्वजीत कौर
7. मंदर सिंह पुत्र श्री अनोखा सिंह
8. चरणप्रीत सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह

जाति जट सिख, निवासीगण चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: निर्णय ::– **दिनांक 15.05.2018**

प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53 / 77 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 ता 10, 14 व 15 में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि चक 3 एफ छोटी के मुरबा नम्बर 21 के किला नम्बर 21 में 0.253 हैक्टर, 22 में 0.253 हैक्टर, 23 में 0.253 हैक्टर व 24 / 1 में 0.170 हैक्टर कृषि भूमि है व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम से इसी मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24 / 3 की 0.060 हैक्टर व किला नम्बर 25 / 2 की 0.237 हैक्टर कृषि भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से चक 3 एफ छोटी के मुरबा नम्बर 21 के किला नम्बर 24 / 4 की 0.016 हैक्टर व किला नम्बर 25 / 3 की 0.016 हैक्टर कृषि भूमि है जिसमें से

रास्ता की मांग की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 8 के नाम से वाके चक 3 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 की 0.253 हैक्टर कृषि भूमि है जिसमें से रास्ता स्वीकृत करवाया जाना है। इस कारण उन्हें पक्षकारा बनाया गया है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 22 में आने जाने हतु रास्ता अरसा दराज से जब से गांव बसा है, चक 3 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 21 ता 25 में मुरब्बा नम्बर 23 के साथ चिपता हुआ तथा मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 से कोने को काटता हुआ मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 मुं खुलता हुआ रास्ता चला आ रहा है और इस रास्ते से ही प्रार्थीगण अपनी भूमि में आ जा रहे हैं तथा इस रास्ता के सम्बन्ध में मुआवजा के रूप में मुरब्बा नम्बर 21 के हिस्सेदारान को भूमि के बदले भूमि इसी चक 3 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 4 सालम व मुरब्बा नम्बर 3 की 25 फुट चौडी X 165 फुट लम्बी, किला नम्बर 4 के साथ चिपती हुई भूमि, जो टहल सिंह व सुखचरण सिंह के नाम से है भी दी हुई है व इस सम्बन्ध में लिखित भी निष्पादित की हुई है। उक्त रास्ता के मुआवजे को भी कोई विवाद पक्षकारान के मध्य नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार व बिरादरी के हैं व परिवार बडा होने के कारण आये रोज रास्ता को लेकर विवाद होता रहता है। जिससे पक्षकारान के मध्य पारिवारिक विवाद रास्ता को लेकर होते रहते हैं। जिससे हिस्सेदार रास्ता को नष्ट कर देते हैं व आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है व प्रार्थीगण अपनी फसल को काश्त ही नहीं कर पाते, क्योंकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे जाने के लिए प्रचलित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस कारण इस रास्ता को स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा, लेकिन अप्रार्थीगण हर बार आजकल आजकल कह कर टाल मटोल कर देते हैं व रास्ता स्वीकृत नहीं करवाया और दिनांक 16.04.2018 को रास्ता स्वीकृत करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 ता 10 व 14,15 हेतु रास्ता चक 3 एफ छोटी मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा मुरब्बा नम्बर 23 के साथ चिप्ता हुआ व मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 में 16.5 X 16.05 कोना मुरब्बा नम्बर 22 के साथ चिप्ता हुआ, स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 न्याय आपके द्वार कैम्प साधुवाली में सहमति पत्र एवं हलफनामा प्रस्तुत किया हलफनामा में अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी अंग्रेज सिंह द्वारा कथन किया गया कि यदि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मिकर द्वारा भविष्य में किसी भी तहर के मुआवजे की मांग नहीं होगी क्योंकि इसके बदले में चक 3 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 1 में किला नम्बर 4 सालम व किला नम्बर 3 में 25 X 165 फुट (किला नम्बर 4 के साथ चिपता हुआ है) को रास्ते के बदले में प्राप्त किया गया है, जो कृषि भूमि सुखचरण सिंह, टहल सिंह, बलजीत सिंह के नाम से है। तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 21 किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा एवं मु.नं. 23 के किला नं. 5/0.003 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा मुरब्बा नम्बर 23 के साथ चिपता हुआ व मुरब्बा नम्बर 23 के किला नमबर 5 में 16.05' X 16.05' कोना मुरब्बा नम्बर 22 के साथ चिपता हुआ गैरमुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करे। पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

आदेश आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 न्याय आपके द्वार, कैप साधुवाली दिनांक 15.05.2018 को लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर